न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2266/2005/भीलवाड़ा

1– नन्दराम,
2– डूंगा,
3– गोरधन,
4– ईसर पिसरान माधो जाति गूर्जर निवासी कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा ।

..... अपीलांट

बनाम

1– रामनारायण पुत्र भूरालाल जाति गूर्जर निवासी कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा,
2– तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

..... रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय **दिनांक :–22.09.2020**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्णय व डिक्री विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 31–03–2005 अपील सं0 287/2003 बउनवानी रामनारायण बनाम माधु के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी चाह नं0 2429 रकबा 4 बिस्वा मौजा कालियास की सरहद में स्थित होकर 1/2 भाग वादी का व 1/2 भाग प्रतिवादी नं0 1 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर कब्जे उपयोग उपभोग में है। खाता सं0 83 सम्वत् 2033 के राजस्व रेकार्ड में गंगाराम, काना पिता लालू गुजर का हिस्सा वादी के नाम दर्ज हुआ और पुराने रेकार्ड से सैटलमेन्ट के नये नम्बर 1546 रकबा 0–06 है0 गै0मु0 आराजी चाह का पर्चा 969 नंबर का

1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा पक्का जारी हुआ। हाल जमाबन्दी नये रेकार्ड में खाता सं0 177 में 1/3 हिस्सा वादी के नाम व 2/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन हो गया जबकि उक्त के वादी व प्रतिवादी 1/2 – 1/2 हिस्से के खातेदार हैं। अपीलांट/प्रतिवादी ने उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत किया एवं वाद के अभिकथनों से इंकार किया और प्रश्नगत आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा है जो कि सही रूप से किये गये हैं एवं इसी आधार पर पक्षकारान का कब्जा चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2003 के द्वारा रेस्पो0/वादी का वाद खारिज कर दिया जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष होने पर उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2005 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर ली जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रेकार्ड के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज योग्य है। बहस में आगे कहा कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये पारित कर दिया, जबकि तत्समय जब राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था तब अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया जिनके वैधानिक वारिसान अपीलांट हैं, जिन्हें बिना रेकार्ड पर लिये मृत व्यक्ति के निर्णय पारित किया गया, जो विधि में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कि मृत व्यक्ति के पारित निर्णय व डिक्री नलिटी होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि पुराने पर्चा खतौनी जिसके खाता सं0 53 में अपीलांट एवं रेस्पो0 का 2/3 व 1/2 हिस्सा दर्ज है जो कि सबसे पुराना रेकार्ड है एवं बाद के इन्द्राज भी उसी अनुसार सही रूप से अंकित हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि तहत न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकियात निर्मित कर विस्तृत विवेचन कर अपना आदेश पारित किया, जिसमें रेस्पो0 ने अपने साक्ष्य से यह भी साबित नहीं किया कि 1546 का पुराना नंबर 2429 ही है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी नं0 1 जिसका कि सिद्ध करने का भार वादी पर था, को कयासों के आधार पर निर्णित करने में भारी भूल की है। इसी

आधार पर तनकी सं0 3 व 4 को भी बिना आधार के निर्णित किया है एवं कब्जे के संबंध में अपीलीय न्यायालय ने कोई फाईडिंग नहीं दी। बहस में आगे कहा कि हमारे द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील में निर्णय किया गया है। इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-8-2003 यथावत रखें जाने योग्य है।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कहां कि मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। भू-प्रबन्ध ने 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज किया है। जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया। मृत्यु कब हुई तिथि अंकित नहीं है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31-3-2005 विधिनुकूल होने से अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7- विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18-8-2003 में अंकित किया कि वादी अपने वाद को सिद्व करने में पूर्णतया असफल रहने से वादी का वाद खारिज योग्य है। विद्वान अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31-3-2005 में माना कि आराजी मुतदाविया चाह 1546 साबिक खसरा नं0 2429 से ही बने हैं। साबिक बन्दोबस्त में जब गंगाराम एवं काना निस्फ हिस्से के खातेदार थे और उनके फुट स्टेप पर अपीलांट ने प्रवेश किया है तो मौजूदा रेकार्ड में अपीलांट को 1/3 दर्ज किया जाना और रेस्पो0 सं0 1 को 2/3 दर्ज किया जाना कतई कानूनन सही नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जाती है तथा मुतदाविया चाह नं0 1546 पर अपीलांट को 1/2 हिस्से का तथा रेस्पो0 सं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

8- अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये पारित कर दिया जबकि तत्समय जब राजस्व अपील अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था तब अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया था जिनके वैधानिक वारिसान अपीलांट हैं, जिन्हें बिना रेकार्ड पर लिये मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया जो विधिक में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कि मृत व्यक्ति के पारित निर्णय एवं डिक्री नलिटी होने के आधार पर काबिल निरस्तनीय है। इस संबंध में विद्वान

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय में अपीलांट/प्रत्यर्थी के वकील उपस्थित थे जिनके द्वारा अपीलांट/प्रत्यर्थी माधु गुर्जर की मृत्यु का तथ्य न्यायालय की जानकारी में लाया ही नहीं गया। अतः जब न्यायालय को जानकारी में ही नहीं था तो अपीलांट का कथन उचित नहीं है।

9– अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पुराने पर्चा खतौनी जिसके खाता सं0 53 में है, में अपीलांट एवं रेस्पो0 का 2/3 एवं 1/2 हिस्सा दर्ज है जोकि सबसे पुराना रेकार्ड है, बाद के इन्द्राज भी उसी अनुसार सही दर्ज हैं। उक्त इन्द्राजों को सही नहीं मानने का कोई कारण नहीं है फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने में भारी भूल की है। अतः पारित आदेश काबिल निरस्तनीय है जबकि पत्रावली में पुराना पर्चा खतौनी जिसमें खाता सं0 53 है, उपलब्ध ही नहीं है। अतः अपीलार्थी का उक्त कथन मानने योग्य नहीं है।

10– अपीलार्थी का यह भी कथन है कि रेस्पो0/वादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उनका उक्त चाह में 1/2 हिस्सा किस प्रकार से आया।

11– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पर्चा लगान भू–प्रबन्ध ग्राम कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा अवधि बन्दोबस्त 1–4–89 से 31–3–2009 में खसरा नं0 1546 रकबा 0–06 गै0मु0 आ0चा0 रामनारायण पि0 भूरालाल 1/2 माधू पि0 छोगा गुजर 1/2 सा0देह खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2050 में खसरा नं0 1546 रकबा 0–06 है0 गै0मु0आ0चा0 रामनारायण पुत्र भूरालाल 1/3 माधू पुत्र छोगा 2/3 गुजर सा0देह दर्ज है जिससे विदित होता है कि जमाबन्दी में भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी के आधार पर प्रविष्ठि दर्ज नहीं की जाकर गलत प्रविष्ठि की गई है। अतः अपीलांट का यह कथन भी उचित नहीं है।

12– अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 की कतई पालना नहीं की है और तनकी सं0 1 का निर्णय कयासों के आधार पर पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2005 में विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए स्पष्ट अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि आराजी मुतदाविया चाह के अलावा उनकी संयुक्त खातेदारी में और कोई अन्य चाह हो। ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि आराजी मुतदाविया चाह 1546 साबिक खसरा नं0 2429 से ही बने हैं। अतः अपीलांट का उक्त कथन भी सिद्ध नहीं होता है।

13– अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है।

14– अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2005 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य